उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 17/2016/301/71-1-2016-जी-131/2015
लखनऊ : दिनांक 04 फरवरी, 2016

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के विरूद्ध प्रवक्ता, फिजियोलॉजी विशिष्टता में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग उ0प्र0, इलाहाबाद के पत्र संख्या-184/20/डी0आर0/सेवा-8/2012-13, दिनॉक 16-09-2015 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 14 अभ्यर्थियों को वेतन बैण्ड रू0 15600-39100 ग्रेड पे रू0 6000/- में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

(1) संबंधित अभ्यर्थी को प्रवक्ता के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर प्रदत्त शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होगें।

(2) संबधित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

(3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।

(4) संबंधित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियो को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम-18 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।

(6) संबंधित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

(7) संबंधित अभ्यर्थी की तैनाती कम से कम तीन वर्षो के लिए नवस्थापित मेडिकल कालेजों हेतु की जा रही है।

2- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने आवश्यक होगें:-

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी न हो, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाणपत्र।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथपत्र।

(3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण-पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(5) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

3- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जाएगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी।

संलग्नक-यथोक्त।

कुमुदलता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या:-17/2016/301(1)/71-1-2016- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करे।

4- प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, सहारनपुर, आजमगढ़, कन्नौज, जालौन, अम्बेडकर नगर, बॉदा तथा बदायूँ।

5- कोषाधिकारी,/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सहारनपुर, आजमगढ़, कन्नौज, जालौन, अम्बेडकर नगर, बॉदा तथा बदायूँ।

6- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, सहारनपुर, आजमगढ़, कन्नौज, जालौन, अम्बेडकर नगर, बॉदा तथा बदायूँ।

7- संबंधित चिकित्सा शिक्षक।

8- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यालय ज्ञाप संख्या-17/2016/301/71-1-2016- जी-131/2015,
दिनॉक 04 फरवरी, 2016 का संलग्नक

क्र0	अभ्यर्थी का नाम तथा अनुक्रमांक	पत्र व्यवहार का पता	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम, जहॉ तैनाती की गयी है।
1	डा0 विपुल चन्द्र कलिता (अनुक्रमांक-51210055201),	टाइप-3, कमरा नं0-53, राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज, उ0प्र0-209732	मेडिकल कालेज, सहारनपुर
2	डा0 सैय्यद नियाज हसन (अनुक्रमांक-51220335425),	900, विवेकानंद नगर, गाजियाबाद, उ0प्र0	मेडिकल कालेज, आजमगढ़
3	डा0 दुर्गेश कुमार (अनुक्रमांक-51230215005),	4/213, मन्नी पुरवा, पुराना कानपुर, कानपुर, उ0प्र0-208002	मेडिकल कालेज, कन्नौज
4	डा0 इजमत जलील (अनुक्रमांक-51250372529),	मं0नं0-383, मोहल्ला-पूरासोफी, पोस्ट-मुबारकपुर, जिला-आजमगढ़, उ0प्र0-276404	मेडिकल कालेज, आजमगढ़
5	डा0 अंशु टंडन (अनुक्रमांक-51250110258),	616/6, शास्त्री नगर, मेरठ, उ0प्र0-250004	मेडिकल कालेज, आजमगढ़
6	डा0 बीरेन्द्र यादव (अनुक्रमांक-51250159974),	ग्राम-एकडंगी (आधार का पूरा), पोस्ट-कोयलसा, जिला आजमगढ़, उ0प्र0-276142	मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर
7	डा0 प्रीति कनौजिया (अनुक्रमांक-51230212549),	डी-19, मेडिकल कालेज कैम्पस, जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, स्वरूप नगर, कानपुर, उ0प्र0-208002	मेडिकल कालेज, कन्नौज
8	डा0 अभय कुमार पाण्डेय (अनुक्रमांक-51220266754),	13-जी0एफ0, ओल्ड मेडिकल एनक्लेव, बी0एच0यू0, वाराणसी, उ0प्र0-221005	मेडिकल कालेज, बॉदा
9	डा0 मंजू ज्योति चौधरी (अनुक्रमांक-51230089783),	टाइप-5, फ्लैट नं0-3, टी0जी0 हास्टल, के0जी0एम0यू0 कैम्पस, लखनऊ, उ0प्र0	मेडिकल कालेज, कन्नौज
10	डा0 आतोष कुमार (अनुक्रमांक-51250124604),	1/6, रंग साजन, फतेहगढ़ जिला फर्रूखाबाद, उ0प्र0	मेडिकल कालेज, जालौन
11	डा0 लता सचान (अनुक्रमांक-51250074512),	डी-8, तात्या टोपे नगर, कानपुर नगर, उ0प्र0	मेडिकल कालेज, जालौन
12	डा0 पार्थ सारथी (अनुक्रमांक-51250017915),	1/365, जानकीपुरम विस्तार, लखनऊ	मेडिकल कालेज, जालौन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13	डा0 प्रतिभा रानी (अनुक्रमांक-51230098639),	9/5, जागृति विहार, गढ़ रोड, मेरठ, उ0प्र0-250004	मेडिकल कालेज, बॉदा
14	डा0 मुहम्मद शादाब (अनुक्रमांक-51220250799),	म0नं0-ए-8, हमजा कालोनी, अलीगढ़, उ0प्र0-202002	मेडिकल कालेज, बदायूँ

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।